

08-07-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.07.17 में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री डी0आर0 बंसल।

फरियादी जगदीश एवं आहत कलावती, रामकेश, अरविंद, पानसिंह, हीरालाल, बलवीर, संजय स्वयं उपस्थित।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहतगण की ओर से राजीनामा हेतु आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर एवं छायाचित्र चस्पाकर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहतगण की पहचान श्री के0पी0 राठौर एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री डी0आर0 बंसल ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहतगण ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि0 की धारा 147, 294, 323, 325 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध में अभियोग पत्र पेश किया है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के अपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 147, 294, 323, 325 एवं 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

सही/—

सही/—

सदस्य

सदस्य

पीठासीन अधिकारी